न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 372/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88/53 आरटीए

अर्शदीप सिंह पुत्र स्व. श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादी

बनाम्

1. सुखविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री जसविन्द्र सिंहजाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नायब सिंहजाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कुलविन्द्र कौर पुत्री स्व.श्री नायब सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. राजेन्द्र कौर पुत्री स्व.श्री नायब सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. जसवीर कौर पत्नी स्व. श्री अजायब सिंहजाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. बलकरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंहजाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. जगतरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री महावीर बेरड़ —वकील वादी
2— श्री कुलदीप मूण्ढ़ — वकील प्रति.सं. 1 ता 10

निर्णय दिनांक :— 30.3.2025

अधिवक्ता वादीया द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 50/20जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के नाम से 0.039 है. कृषि भूमि तथा इसीचक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 50/20 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के नाम से 6.015 है. कृषि भूमिदर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि पंजाब राज्य के जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरगुरी में स्थित है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं.3, 4, 5 व 7ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 8व 9के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। क्योकि प्रतिवादी सं. 1, 2, 6 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि तहसील संगरिया के अन्य चको ने प्राप्त कर ली तथा प्रतिवादी सं. 10 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पंजाब राज्य के जिला फरीदकोट की तहसील जैतो के ग्राम सुरगुरी में प्राप्त कर ली। वादी एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :–

(क) वादी अर्शदीप सिंह पुत्र स्व. श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:–

चक 2एस.एन.जी. खाता सं.50/24 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/154	44	1/2/0.018 है., 2/2/0.018 है., 3/2/0.003 है. कुल 0.039 है. कृषि भूमि

चक 2 एस.एन.जी. खाता सं. 49/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/154	44	1/1/0.235 है., 2/1/0.235 है., 3/1/0.250 है., 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/1/0.234 है., 14/1/0.234 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.
216/154	45	9/0.122 है., 10/0.122 है.(किलो की दक्षिणी दिशा में), 11,12/0.253 है.प्र.कुल 2.950 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 8 व 9बलकरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह एवं जगतरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंहसमस्त जाति जटसिख निवासीगणढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब.कृषि भूमि:–

चक 2 एस.एन.जी. खाता सं. 49/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/153	43	13/1/0.076 है., 13/2/0.25 है., 14/1/0.240 है., 14/2/0.013 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 18/3/0.190 है., 19/2/0.020 है., 22/1/0.177 है., 22/2/0.038 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
216/153	42	21/0.253 है.
216/154	45	1,2/0.253 है.प्र., 9,10/0.131 है.प्र. (किलो की उतरी दिशा में) कुल 3.065 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकारहोने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीका हित एवं स्वत्व निहित है। वादीने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीको खातेदारकाश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण,प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 11 को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीप्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 50/24 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के नाम से 0.039 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 8 ता 10 का नाम कलमजन किया जावें तथा इसीचक 2 एस.एन.जी. के खाता सं. 49/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के नाम से6.015 है. कृषि भूमि में से वादी को 2. 950 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 8 व 9 को 3.065 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 10 का नाम कलमजन किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 8 व 9 का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 11 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया तथा प्रकरण में सहमति हो जाने के कारण वादी और प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 2 एसएनजी खाता संख्या 50/24 ज.स. 2071–2074 की जमाबन्दी
2. चक 2 एसएनजी खाता संख्या 49/15 ज.स. 2071–2074 की जमाबन्दी
3. चक 2 एसएनजी खाता संख्या 16 ज.स. 2046 की जमाबन्दी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह–काश्तकार है। वादी घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर मुताबिक सहमति अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक सहमति डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता/रकमराज अलग कायम करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 2 एसएनजी खाता संख्या 50/24 ज.स. 2071–2074 की जमाबन्दी एवं चक 2 एसएनजी खाता संख्या 49/15 ज.स. 2071–2074 की जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य हैः–

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी को निम्नानुसार आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इनका हिस्सा कम/ज्यादा/नाम कलमजन कर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

(क) वादी अर्शदीप सिंह पुत्र स्व. श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः–

चक 2एस.एन.जी. खाता सं.50/24 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/154	44	1/2/0.018 है., 2/2/0.018 है., 3/2/0.003 है. कुल 0.039 है. कृषि भूमि

चक 2 एस.एन.जी. खाता सं. 49/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/154	44	1/1/0.235 है., 2/1/0.235 है., 3/1/0.250 है., 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/1/0.234 है., 14/1/0.234 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.
216/154	45	9/0.122 है., 10/0.122 है.(किलो की दक्षिणी दिशा में), 11,12/0.253 है.प्र.कुल 2.950 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(ख) प्रतिवादी सं. 8 व 9 बलकरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह एवं जगतरण सिंह पुत्र श्री सोहन सिंहसमस्त जाति जटसिख निवासीगणढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब.कृषि भूमि:–

चक 2 एस.एन.जी. खाता सं. 49/15 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
215/153	43	13/1/0.076 है., 13/2/0.25 है., 14/1/0.240 है., 14/2/0.013 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 18/3/0.190 है., 19/2/0.020 है., 22/1/0.177 है., 22/2/0.038 है., 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
216/153	42	21/0.253 है.
216/154	45	1,2/0.253 है.प्र., 9,10/0.131 है.प्र.
		(किलो की उतरी दिशा में) कुल 3.065 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया